

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 05, मंगलवार, श॥के 1948- मई 26, 2026 Jyaistha 05, Tuesday, Saka 1948- May 26, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 08, 2026

संख्या:06/भू.अ./ज.स./2026/697-703:- चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ Construction of Bagoliya Feeder Rd 0 to 30.6 Km. off Taking From Left Main Canal Ch. 480 of Udaisagar Tank Tehsil Girwa and Mavli District Udaipur हेतु भूमि को अवाप्ति किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में संलग्न सूची अनुसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के नियम 6(8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, उदयपुर को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-3 (जी) एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1(51) Rev-6/2014/31 दिनांक 28.08.2015 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) मावली होंगे।

विवरण

अवाप्त की जाने वाली भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) की कार्यवाही बाबत प्रस्ताव।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत	तहसील का नाम	जिला	भूमि अवाप्ति अधिकारी
1	Construction of Bagoliya feeder 0 to 30.6 km off-taking from LMC Ch. 480 of Udaisagar Tank Teh. Girwa & Mavli Dist.	मेड़ता	मेड़ता	घासा		
		ढाणा	गुडली	घासा		
		मोरिया	मेड़ता	घासा		
		बजाज नगर	नाहरमगरा	घासा		
		राणावर्तों का गुढ़ा	खेमली	घासा		

Udaipur	जूनावास	खेमली	घासा	उदयपुर	उपखण्ड अधिकारी मावली
	आसना	खेमली	घासा		
	सांगवा	सांगवा	घासा		
	नांदवेल	नांदवेल	घासा		
	देवाली	नांदवेल	घासा		
	बोयणा	बोयणा	मावली		
	सड़ियारेल	बोयणा	मावली		
	भीमल	भीमल	मावली		
	गडवाडा	भीमल	मावली		
	रठाना	रठाना	मावली		
	बांसलिया	बांसलिया	मावली		
	मोरडी	बड़ियार	मावली		
	मर्तडी	बड़ियार	मावली		

फार्म-2

(देखे-नियम-5)

पार्ट-बी

सामाजिक समाधात निर्धारण की अधिसूचना

सामाजिक समाधान निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा-

(क)	परियोजना विकासकर्ता का नाम	अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड उदयपुर
	प्रस्तावित योजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिये प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाधात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	बागोलिया फीडर परियोजना में उदयसागर बांध से अतिरिक्त पानी का बागोलिया बांध में ले जाने का प्रस्ताव है, ताकि मावली ब्लॉक में सिंचाई के पानी की दीर्घकालीन कमी को दूर किया जा सके, जिसके अंतर्गत लगभग 80 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है।।
(ख)	सामाजिक समाधात निर्धारण के मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत (1) परामर्श (2) सर्वेक्षण (3) सार्वजनिक सुनवाई/सुनवाईयाँ भी दें।	(1) परामर्श (2) सर्वेक्षण (3) सार्वजनिक सुनवाई
(ग)	यदि ग्राम सभा और/ भू- स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारे में	अधिनियम की धारा 2(1) के अन्तर्गत लागू नहीं है।

	कथन किया जाना होगा।	
(घ)	सामाजिक समाघात निर्धारण के लिये समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनेअचल परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन) योजना विनिर्दिष्ट किए जाने होंगे।	अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनुसार
(इ)	इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन कि प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शून्य हो जाएगी।	हाँ
(च)	सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई से सम्पर्क करने संबंधी जानकारी	अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड उदयपुर

महेश कुमार राठी,
उप सचिव एवं अधी. अभि. (लैण्ड बैंक),
कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,
राजस्थान जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।